ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
ISSN No.: 2347-2944, RNI:UPBIL04292, REG. No.: 561/2013-2014 Vol.-2, No.-2, **PP-39-42**,YEAR-2015

पर्यावरण संरक्षण हेतु विधायी प्रावधानों एवं जनचेतना की प्रासंगिकता

❑ **डॉ0 अतुल कुमार यादव**

सारांश— *शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से 'पर्यावरण' दो शब्दों से मिलकर बना है— परि+आवरण। परि का अर्थ है 'चारो ओर', जबकि आवरण का अर्थ है 'ढके हुए' या 'घेरे हुए'। स्पष्ट है कि पर्यावरण का आशय उन सभी प्राकृतिक और सामाजिक दशाओं से है जो एक प्राणी के जीवन को चारों ओर से घेरे रहते हैं। यथाः जल, वायु, भूमि की बनावट, तापमान, ऋतुएँ, खनिज पदार्थ, आर्द्रता, विभिन्न जीव, चारों ओर की ध्वनि, उद्योग—धन्धे, जंगल, उपयोग में लायी जाने वाली विभिन्न प्रकार की वस्तुएं तथा हमारा सम्पूर्ण सामाजिक जीवन आदि वे दशाएं हैं जिनसे मानव का जीवन चारों ओर से घिरा रहता है। इस प्रकार इन सभी दशाओं की संयुक्तता को हम मानव का पर्यावरण कहते हैं। समाजशास्त्री रॉस ने लिखा है कि, ''पर्यावरण कोई भी वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है।'' गिस्वर्ट के अनुसार, ''पर्यावरण का तात्पर्य प्रत्येक उस दशा से है जो किसी तथ्य वस्तु अथवा मनुष्य को चारों ओर से घेरे रहते हैं तथा उसे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है।'' पर्यावरण के प्रभाव को स्पष्ट करते हए मैकाइवर ने लिखा है कि ''पर्यावरण, जीवन के आरम्भ से ही, यहाँ तक कि उत्पादक कोष्ठकों के समय से ही मानव को प्रभावित करने लगता है।'' इसका तात्पर्य है कि एक बच्चा जब गर्भ में आता है, उसी समय से उसका पर्यावरण अर्थात् चारों ओर की दशाएं उसके जीवन को प्रभावित करना आरम्भ कर देती हैं।*

'पर्यावरण' यद्यपि एक व्यापक अवधारणा है, लेकिन पर्यावरण प्रदूषण में इसका मुख्य सम्बन्ध हमारे वातावरण से है। वातावरण के जिस हिस्से में मिट्टी, चट्टानें तथा रेत आदि होते हैं, उसे हम स्थलमण्डल कहते हैं। दूसरा हिस्सा वह है जो जल क्षेत्रों अथवा समुद्र के रूप में है, इसे जलमण्डल कहा जाता है। स्थलमण्डल और जलमण्डल के ऊपर लगभग 300 किलोमीटर की ऊँचाई तक एक गैसीय वातावरण होता है जिसे हम वायुमण्डल कहते हैं। समुद्र की सतह से लगभग 10 किलोमीटर ऊपर तक लगभग इतने ही नीचे तक के हिस्से को जीवमण्डल कहा जाता है क्योंकि यही वह हिस्सा है जिसमें मनुष्य और विभिन्न प्रकार के जीव—जन्तु रहते हैं। मानव समुदाय का लगभग 90 प्रतिशत भाग समुद्र की सतह से 1.5 किलोमीटर ऊँचाई तक की भूमि पर ही निवास करता है। स्वाभाविक है कि मानव जीवन को स्थलमण्डल, जलमण्डल तथा वायुमण्डल का लगभग 2 किलोमीटर ऊँचाई तक का भाग सबसे अधिक प्रभावित करता है। व्यावहारिक रूप से इसी को हम 'मनुष्य का पर्यावरण— कहते हैं।

सामान्यतः प्रदूषण का आशय किसी प्रकार की 'गन्दगी' अथवा 'दोष' से समझा जाता है। व्यापक अर्थ में प्रदूषण एक ऐसी दशा है जो पर्यावरण अथवा वातावरण की गन्दगी और अपवित्रता का बोध कराती है। साथ ही, इसका तात्पर्य प्रकृति के तत्वों के सन्तुलन में होने वाली वह अवांछनीय परिवर्तन है जो मनुष्य और उसके लिए लाभदायक जन्तुओं, पौधों तथा कच्चे माल आदि को किसी भी रूप में हानि पहुंचाता है। स्पष्ट है कि वायु, जल, वनस्पति, जीव जन्तु तथा प्राकृतिक गैसें पर्यावरण के मुख्य घटक हैं। यह सभी घटक पारस्परिक व्यवहार के द्वारा प्रकृति के सन्तुलन को बनाये रखते हैं। इनमें से किसी भी घटक का अधिक उपयोग होने अथवा उसके प्राकृतिक रूप में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाने से प्राकृतिक पर्यावरण का सन्तुलन बिगड़ने

अध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, आदर्श कृष्ण महाविद्यालय, शिकोहाबाद, (उ0प्र0) भारत

लगता है। इसी दशा को हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। जिन कारणों अथवा दशाओं के प्रभाव से पर्यावरण में प्रदूषण उत्पन्न होता है, उन्हें प्रदूषक कहते हैं। स्पष्ट है कि प्रकृति के सन्तुलन में होने वाली हानि को ही पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं।

भारतीय संस्कृति का आधार 'सत्यं शिवं सुन्दरम्' रहा है लेकिन आज चारों ओर गंदगी, शोर, नदी व समुद्र के जल को विषैला करने में होड़ लगी है। प्रदूषित पर्यावरण के दूरगामी परिणामों के बारे में जनसाधारण को परिचित करवाना समाज व सरकार को सुनियोजित पद्धतियों से अवगत कराते हुए उसे रोकने का सफल प्रयास वांछित है अन्यथा छिपे विनाश के संकट को टालने के लिए सक्रिय न होने के फलस्वरूप विनाश अवश्यंभावी होगा। अतः समय रहते हुए पर्यावरणीय सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था करने हेतु राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक अभियान चलाना चाहिए। वस्तुतः पर्यावरण सुरक्षा से ही विश्व मानवता खुशहाल रह सकती है। प्राचीन काल में प्रकृति हमारे लिए पूजनीय रही है लेकिन आज हम पेड़ों को निर्दयता से काट रहे हैं तथा प्रकृति को निजी स्वार्थ के लिए विध्वंस कर रहे हैं जबकि हमारे देश के पौराणिक ग्रन्थों में प्रकृति को देवी के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है। हमारे वेद, पुराण, उपनिषद इस तथ्य के ज्वलंत प्रमाण हैं कि हमने सदैव प्रकृति देवी की पूजा की है। पीपल, तुलसी, नीम, बरगद की पूजा आज भी अनेक जन समुदायों द्वारा की जाती है, जिसका धार्मिक एवं सांस्कृतिक ही नहीं, अपितु वैज्ञानिक महत्व भी है। आयुर्वेद के प्रवर्तक धन्वंतरी ने तो प्रकृति से प्राप्त जड़ी बूटियों को समस्त असाध्य रोगों के निदान के लिए रामबाण दवा समझा था; फिर भला हम प्रकृति के प्रति इनते क्रूर क्यों हैं? प्रकृति को तो हमें पुत्रवत् लालन–पालन एवं भविष्य के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। अंग्रेजी कवि वर्ड्सवर्थ ने तो प्रकृति की गोद में ही जवीन का परम सुख समझा था। रूसो ने भी 'बैक टू दी नेचर' का शंखनाद किया था। वस्तुतः प्रकृति के समस्त उपादान हमारे लिए श्रद्धेय ही नहीं अपितु पूजनीय है। पेड़–पौधे, पर्वतमालाएं, नदी, नाले एवं जीव मात्र सभी हमारे लिए पूजनीय है। भारतीय ग्रंथ इस तथ्य का प्रमाण है कि कृष्ण ने गोकुलवासियों को इन्द्र की पूजा गोवर्धन पर्वत के पेड़ पौधों सहित करने का शंखनाद किया था। आज भी गंगा, यमुना, सरस्वती हमारे लिए पूजनीय संगम नदियां हैं। ये राष्ट्रीय एकता की भी प्रतीत हैं। इसी प्रकार सूर्य, अग्नि, चन्द्रमा, वायु, पेड़ व जल की भी उपनिषदों में देववत् उपासना की गई। किन्तु हम हैं जो पेड़ों को काट रहे हैं, जल को प्रदूषित कर रहे हैं तथा कल–कारखानों के धुएं को प्रदूषित कर रहे हैं जो हमारे लिए घातक हैं। औद्योगिक क्रान्ति के नाम पर हम पर्यावरण को दूषित करने पर तुले हुए हैं जिसका दुष्परिणाम कालांतर में यह होगा कि हमारा जीवित रहना तथा शुद्ध श्वांस लेना भी दुष्कर हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि भी एक ऐसा ही प्रमुख कारक है। मानव समाज के लिए वृक्ष अति आवश्यक है क्योंकि वृक्ष बादलों को आमंत्रित करते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था वर्षा पर ही निर्भर है। वृक्ष पशुओं के लिए छाया और पक्षियों के लिए रैन–बसेरा हेतु स्थान देते हैं। लेकिन गरीबों द्वारा ईंधन हेतु और आवास व भवनों के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है। वह पेड़ जिसके नीचे बैठकर गौतम बुद्ध को बोध हुआ। ध न्वंतरी की औषधि–विज्ञान पेड़ पौधों पर ही निर्भर है। हमें मालूम होना चाहिए कि वृक्षों से ही पर्यावरण स्वच्छ होता है।

पर्यावरण प्रदूषण केवल भारत की ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण विश्व की ज्वलन्त समस्या है। एक ओर आर्थिक विकास के लिए प्रौद्योगिकी और नगरीय विकास आवश्यक है तो दूसरी ओर इनके फलस्वरूप पर्यावरण में तेजी से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इसी कारण आज विभिन्न देशों की सरकारें पर्यावरण प्रदूषण को रोकने तथा इसका उपचार करने के लिए अनेक संगठित कार्यक्रमों को लागू कर रही है। भारत सरकार ने सर्वप्रथम चौथी पंचवर्षीय योजना (1969–1974) की अवधि में पर्यावरण प्रदूषण पर ध्यान देकर सन् 1972 में इस समस्या का सामाधान करने के लिए एक समिति का गठन किया। जनवरी, 1980 में एक उच्चाधिकार समिति गठित की गयी जिसकी सिफारिशों के आधार पर सन् 1985 में एक पृथक 'पर्यावरण और वन मन्त्रालय' की स्थापना की गयी। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास

से उत्पन्न होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को रोकना तथा जल, भूमि, मिट्टी और वन्य जीवन को इस तरह सुरक्षित करना था जिससे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पर प्रभावपूर्ण ढंग से नियंत्रण रखा जा सके। इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा किये जाने वाले कुछ प्रमुख विधायी प्रावधान; पैस्टीसाइड एक्ट 1968, वन्य जीवन अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974, जल प्रदूषण एक्ट 1981, वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम, 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, मोटर वाहन (संशोधित) अधिनियम, 1988 तथा राष्ट्रीय पर्यावरण ट्रिब्यूनल अधिनियम, 1995 हैं इनमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एक ऐतिहासिक कानून है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण सम्बन्धी प्रदूषण की रोकथाम और इसमें कमी करने के लिए देशव्यापी कार्यक्रमों की कार्य योजनाएं तैयार करना, पर्यावरण में सुधार के लिए प्रयोगशालाएं स्थापित करना, खतरनाक पदार्थों के रखरखाव के लिए सुरक्षात्मक उपाय करना तथा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के मालिकों के लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था करना है। जल तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम के द्वारा यह व्यवस्था की गयी कि प्रदूषण फैलाने वाला ही प्रदूषण की कीमत चुकाये तथा अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों और नदियों के बचाव पर सरकार अधिक से अधिक ध्यान दे।

लेकिन यह भी एक तथ्य है कि किसी भी समस्या का समाधान कानून बना देने से नहीं हो सकता। कहीं कानूनों की आवश्यकता होती है तो कहीं सामाजिक कार्यों की। सामाजिक कार्यों के लिए सामाजिक चेतना की विशेष आवश्यकता होती है जबकि भारत की जनसंख्या में जन चेतना नाममात्र को भी नहीं है। चूंकि पर्यावरण एक अन्तर्सम्बन्धी (इण्टर डिस्पिलनरी) विषय है। अतः प्राकृतिक पर्यावरण की संरक्षा व सुरक्षा के लिए कानूनों की आवश्यकता है। भारतीय संविधान में भी पर्यावरणीय कर्तव्यों का उल्लेख है जिसमें पर्यावरणीय विधानों हेतु भी प्रावधान है।

इन विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से निजात पाने के लिए यद्यपि भारत सरकार ने विभिन्न विधायी प्रावधान भी किये हैं, साथ ही पर्यावरण के संरक्षण मे योगदान करने वाले व्यक्तियों के लिए विभिन्न पुरस्कार योजनाएं यथाः सन् 1987 से पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए किसी संगठन या व्यक्ति को ''इन्दिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार'', सन् 1991 से ''राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण पुरस्कार'', प्रदूषण कम करने वाले विभिन्न प्रजातियों के वृक्ष लगाने के लिए सन् 1994 से "महावृक्ष पुरस्कार", कृषि में फर्टिलाइजर्स, पैस्टीसाइड्स व कीटनाशक दवाओं रहित उत्तम बीजों व अधिक उत्पादन तकनीक विकसित करने वाले कृषि वैज्ञानिक को 'कृषि पण्डित' पुरस्कार एवं पर्यावरण सरंक्षण में योगदान करने वाले वैज्ञानिकों के लिए भी विशष्ट पुरस्कार योजनाएं प्रारम्भ की हैं जो जन चेतना जागृत करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है। अभी कुछ दिनों पूर्व ही अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 'कोपेनहेगन' सम्मेलन 2009 में पर्यावरण संरक्षण एवं जन चेतना हेतु विश्वव्यापी विचारों का मंथन हुआ है किन्तु परिणाम वही 'ढाक के तीन पात' रहा है।

शोध अध्येता का विचार है कि सामाजिक चेतना के लिए 'सर्वोदय विचार' अर्थात सभी का 'उदय' यानी दूसरे का सुख हमारा सुख, दूसरे का दुख अपना दुख आत्मसात करना होगा। 'अहिंसा विचार' जीओ और जीने दो पर्यावराविद् तथा चिपको आन्दोलन के प्रणेता श्री सुन्दरलाल बहुगुणा जी के विचार वृक्षारोपण शुद्ध पर्यावरण और राजस्थान के विश्नोई समाज के प्रवर्तक श्री जाम्भे जी के 'अस्तेय' विचार जन्म, मृत्यु शादी, उत्सव, त्यौहारों, राष्ट्रीय पर्वो पर वृक्ष लगाने वाले विचार आज भी प्रासंगिक हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए जिन्हें हमें हृदयांगम करना ही होगा। ताकि मानव की धरोहर 'पर्यावरण' को संरक्षित तथा सुरक्षित रखा जा सके। शोध अध्येता की मान्यता है कि जन जागरूकता तथा जनसहयोग के अभाव में इस समस्या का समाधान नितान्त असम्भव है क्योंकि मानव व पर्यावरण परस्पर घनिष्ठतः सम्बन्धित हैं, एक दूसरे के पूरक तथा परिपूरक हैं, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व संदिग्ध है। अस्तु इस परिप्रेक्ष्य में जनचेना ही एकमात्र विकल्प है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1- Rosse E.J., Sociology & Social Problems, mc-millan & Co. 1960, p. 35.
2- Gisbert P., Fundamentals of Sociology, Routledge & Kegan Paul, 1961, p. 11.
3- Mac lver RM. (et al), Society, 1959, p. 102.
4- India-2008, Government of India Pulicatin, Chapter-8.
5- Vyas Harish Chand, Population Explosure & Environment, Satsahitya Prakashan, Delhi-6, p. 89-90.

*****